

धान उपार्जन केंद्र में भारी लापरवाही के चलते सैकड़ों क्विंटल धान बारिश में भीगकर सड़ गया। ओपन कैप में रखे गए धान की उचित सुरक्षा नहीं की गई, जिससे किसानों की महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई। इस घटना ने वेयरहाउस संचालन और सिविल सप्लाइ विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

शहडोल/चन्नौड़ी। जिले के चन्नौड़ी स्थित धान उपार्जन केंद्र में सैकड़ों क्विंटल धान पानी में भीगकर खराब हो गई। यह लापरवाही वेयरहाउस संचालन और स्टेट सिविल सप्लाइ कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से सामने आई है, जिन्होंने ओपन कैप में रखे गए धान की देखरेख में भारी चूक की। किसानों की महीनों की मेहनत अब सड़ती नजर आ रही है, जिससे क्षेत्र में आक्रोश और नाराजगी का माहौल बन गया है। इस मामले में एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार चन्नौड़ी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया, जिसमें गड़बड़ियों की पुष्टि हुई। प्राथमिक जांच में सामने आया कि धान उपार्जन केंद्र चन्नौड़ी के प्रभारी कमलेश श्रीवास्तव की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। इतना ही नहीं, केंद्र में नियुक्त निगरानी, चौकीदारी और संरक्षण की जिम्मेदारी जिन कर्मचारियों पर थी, वे भी जिम्मेदारी से चूक गए।



चन्नौड़ी में वेयर हाउस की लापरवाही से भीगी सैकड़ों बोरी धान

किसानों की मेहनत हुई बर्बाद, एसडीएम के निर्देश पर जांच शुरू

54 ओपन कैप में रखी गई थी धान

चन्नौड़ी केंद्र में 54 ओपन कैप बनाए गए थे, जिनमें प्रत्येक में लगभग 3200 बोरी धान रखी गई थी। यह धान किसानों से उपार्जन के बाद रखा गया था, जिसकी सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी स्टेट सिविल सप्लाइ कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसएससीएल) की होती है। शहडोल में एसएससीएल की जिम्मेदारी सुधा रघु के पास है, जिनकी निगरानी में पूरे जिले के वेयरहाउस और ओपन कैप संचालन होते हैं। दुर्भाग्यवश बारिश के दौरान इन ओपन कैप को ठीक ढंग से कवर नहीं किया गया। तिरपाल और प्लास्टिक शीट (पनिया) की व्यवस्था बेहद कमजोर और पुरानी थी, जिससे बारिश का पानी सीधे धान तक पहुंच गया। भीगी बोरी से धान अंकुरित होने लगा और बर्बू फैलने लगी, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि धान अब उपयोग लायक नहीं बचा है।



पुरानी तिरपाल और कवर से हुआ नुकसान



इस पूरे घटनाक्रम के पीछे 'रुपाया बचाने' के फेर में पुरानी तिरपाल और पनिया की इस्तेमाल किया गया। जबकि हर साल शासन द्वारा नई सामग्री खरीदने और उपयोग करने के निर्देश होते हैं, लेकिन यहां पुराने कवर लगाकर खानापूर्ति की गई। परिणामस्वरूप पानी इन कमजोर कवरों से टपककर सीधे धान की बोरीयों में घुस गया। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि धान की सुरक्षा के लिए जो कर्मचारी और चौकीदार तैनात थे, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। यदि समय पर पानी को हटाया जाता या व्यवस्था ठीक की जाती तो इतना नुकसान नहीं होता।



प्रशासनिक लीपापोती की कोशिशें शुरू

अब जब मामला मीडिया और अधिकारियों तक पहुंच चुका है, तो जांच के नाम पर फॉर्मल कार्यवाही शुरू कर दी गई है। हालांकि, ग्रामीणों और किसानों का कहना है कि यह सब केवल मामले को दबाव के लिए किया जा रहा है। क्योंकि जब हजारों क्विंटल धान खराब हो चुका है, तब जांच से क्या फायदा? प्रशासन को पटले ही ऐसे केन्द्रों की नियमित निगरानी करने चाहिए थी। धान का उठाव भी नियमित रूप से होता रहा, ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि वहां कोई अधिकारी या कर्मचारी मौजूद नहीं था। फिर भी यह अनदेखी कैसे हुई, यह बड़ा सवाल है।

किसानों की मेहनत बर्बाद, शासन पर उठे सवाल

किसानों का दर्द अब सामने आ रहा है। कई महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने धान उगाया, शासन ने समर्थन मूल्य पर खरीदा, लेकिन जब वही धान लापरवाही से भीग जाया और सड़ जाया, तो इससे बड़ा अन्याय उनके साथ क्या हो सकता है? एक किसान ने कहा, हमने बारिश, कीट और मौसम से बचाकर जो फसल उगाई, वह अब गोदाम में जाकर खराब हो रही है। यह हमारी मेहनत का अपमान है। कई किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच करवाई जाए और जिम्मेदारों पर एफआईआर दर्ज की जाए। साथ ही, किसानों को उनके धान का मुआवजा भी दिया जाए, क्योंकि यह नुकसान उनकी मलती से नहीं, सरकार लापरवाही से हुआ है।

जिले भर में हो सकती है ऐसी ही स्थिति

यह मामला केवल चन्नौड़ी तक सीमित नहीं है। लगातार हो रही बारिश और पूरे जिले में धान की इसी तरह ओपन कैप में रखी के कारण, यह आशंका जलाई जा रही है कि शहडोल जिले के अन्य उपार्जन केंद्रों में भी धान खराब हो सकती है। प्रशासन को चाहिए कि वह सभी केंद्रों की जांच करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करे, ताकि भविष्य में किसानों को और नुकसान न हो। चन्नौड़ी उपार्जन केंद्र पर हुई यह लापरवाही किसानों की मेहनत और शासन की नीतियों दोनों पर प्रश्नचिह्न है।

गोहपारू पंचायत सचिव रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ाया

एनओसी के बदले 2000 रुपये की मांग कर रहा था

शहडोल। जिले के गोहपारू जनपद की मुख्यालय की ग्राम पंचायत गोहपारू के सचिव एवं जनपद अंतर्गत आने वाली खोही ग्राम पंचायत के प्रभारी सचिव मंगल यादव को रिश्वत लेते हुए रीवा लोकयुक्त की टीम ने रंगेहाथ पकड़ लिया है। शिकायतकर्ता राजा सिंह ठाकुर, निवासी टेटकी ने लोकयुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी कि सचिव मंगल यादव उनसे एनओसी जारी करने के एवज में 2000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है। लोकयुक्त टीम ने शिकायत की सत्यता जांचने के बाद सोमवार को कार्रवाई करते हुए आरोपी सचिव को पंचायत भवन के पास रिश्वत लेते हुए धरदबोचा। इसके बाद उसे जयसिंहनगर

रेस्टहाउस लाया गया, जहां आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है। बताया जा रहा है कि सचिव लंबे समय से लोगों को छोटे-छोटे कामों के लिए परेशान कर अवैध वसूली कर रहा था। जैसे ही शिकायतकर्ता ने लोकयुक्त से संपर्क किया, टीम ने तत्काल योजना बनाकर उसे ट्रैप कर लिया। लोकयुक्त की इस कार्रवाई से पंचायत क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने भी सचिव के खिलाफ पहले से कई शिकायतें होने की बात कही है। अब जब रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा गया है, तो ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है और प्रशासन से आरोपी पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में लोकयुक्त द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर विधिवत कार्यवाही की जा रही है।

ग्रामी प्राचार्य पर शासकीय आदेशों की अनदेखी और संलग्नता में अनियमितता के आरोप

उमरिया। शासकीय आदेशों विज्ञान महाविद्यालय उमरिया में पदस्थ प्रभारी प्राचार्य

नियोज अंसारी एक बार फिर विवादों में घिरते

नजर आ रहे हैं। मामला सहायक ग्रेड-3

कर्मचारी शशांक पटले की संलग्नता को

लेकर है, जिनकी मूल पदस्थापना जैतपुर

महाविद्यालय में है। आयुक्त, उच्च शिक्षा,

मध्यप्रदेश शासन, सतपुरा भवन, भोपाल

द्वारा 13 दिसंबर 2024 को जारी आदेश

(क्रमांक 1657/20/एरूस/आउशि/शा.-

3/24) के तहत शशांक पटले की डिप्लॉयमेंट

समाप्त कर उन्हें मूल संस्था जैतपुर

महाविद्यालय भेजने के स्पष्ट निर्देश जारी किए

गए थे। लेकिन प्रभारी प्राचार्य नियोज अंसारी

ने इस शासकीय आदेश की अवहेलना करते

हुए शशांक पटले को कार्यमुक्त नहीं किया।

इतना ही नहीं, 23 जनवरी 2025 को एक

नया आदेश (क्रमांक 115/20/सीएमएस/

औषधि/शा.-3/24) जुगाड़ कर जारी

करवाया गया, जिसके अनुसार शशांक पटले

को दो माह के लिए पुनः आदर्श विज्ञान

महाविद्यालय उमरिया में संलग्न कर दिया

गया। आश्चर्यजनक बात यह है कि पटले ने

जैतपुर महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण ही

नहीं किया, क्योंकि उन्हें उमरिया से

कार्यमुक्त ही नहीं किया गया था। इस समूचे

घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि प्रभारी

प्राचार्य द्वारा शासकीय आदेशों की लगातार

अवहेलना की जा रही है, और मनमानीपूर्ण

ढंग से स्वेच्छाचरिता का व्यवहार किया जा

रहा है। शिक्षा जगत के जानकारों का कहना

है कि इस तरह की प्रशासनिक अनियमितता

शासन की गरिमा और आदेश की गंभीरता

पर सवाल खड़े करती है। यह प्रकरण उच्च

शिक्षा विभाग के लिए एक चिंतन का विषय

है और इसकी विभागीय जांच की जानी

चाहिए, ताकि भविष्य में शासकीय आदेशों

की अवहेलना न हो सके।

नर हाथी का हुआ निधन

उमरिया। क्षेत्र संचालक बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व ने बताया कि 19 मई को दो हाथियों द्वारा की गई घटना में तीन व्यक्तियों को दुःखद मृत्यु हुई थी। उक्त दो हाथियों में से एक नर हाथी, जो इस घटना में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित पाया गया था, को 21 मई 2025 को संजय टाईगर रिजर्व क्षेत्र से निश्चेतन कर रेस्क्यू किया गया एवं बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व लाया गया। नर हाथी का रेस्क्यू के उपरांत विगत दो माह से बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व के रामा कैप में उपचार किया जा रहा था। उपचार की प्रक्रिया बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व के वन्यप्राणी चिकित्सक के सतत पर्यवेक्षण में संचालित की जा रही थी। इसके अतिरिक्त संजय टाईगर रिजर्व, मुकुंदपुर जू तथा रेस्क्यू सेंटर, एच डब्ल्यू एफ एच, जबलपुर के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम द्वारा भी नियमित रूप से उसका परीक्षण एवं उपचार किया जा रहा था। दुर्भाग्यवश 22 जुलाई को प्रातः काल में उक्त नर हाथी का निधन हो गया। निधन के उपरांत शव विच्छेदन की कार्यवाही विशेषज्ञों द्वारा की जा रही है।



नगर परिषद को मिला शव प्रीजर बॉक्स

डॉ. एन.पी. द्विवेदी ने दी माता-पिता की स्मृति में किया गेट



जयसिंहनगर। नगरवासियों के लिए एक अत्यंत उपयोगी सुविधा अब उनके अपने नगर में ही उपलब्ध हो गई है। डॉ. एन.पी. द्विवेदी ने अपने माता-पिता (दौदी-दादू) की स्मृति में नगर परिषद जयसिंहनगर को सार्वजनिक उपयोग हेतु शव प्रीजर बॉक्स गेट किया। यह जनकराज्यकारी पहल नगर में आने वाले समय में कई परिवारों की मददगार साबित होगी। इस पुनीत कार्य के लिए नगरवासियों ने डॉ. द्विवेदी का अभिनंदन करते हुए आभार प्रकट किया। नगर में शव प्रीजर बॉक्स की अब तक कोई स्थानीय व्यवस्था नहीं थी। किसी व्यक्ति के निधन की स्थिति में शक्ति शरीर के संरक्षण के लिए नगरवासियों को शहडोल या ब्योहारी से शव प्रीजर मंगवाना पड़ता था। इससे न केवल आर्थिक भार बढ़ता था, बल्कि समय पर सुविधा न मिल पाने से मानसिक तनाव और असुविधा का भी सामना करना पड़ता था। डॉ. द्विवेदी द्वारा नगर परिषद को सौंपी गई यह सुविधा निःशुल्क रूप से आम जनता को उपलब्ध कराई जाएगी। नगर परिषद जयसिंहनगर अब आवश्यकता होने पर नगर या आस-पास के क्षेत्र के नागरिकों को यह सुविधा तत्काल उपलब्ध करा सकेगी। इससे शोक की घड़ी में परिजनों को एक बड़ी राहत मिलेगी। नगर परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सहित परिषद पदाधिकारियों तथा नागरिकों ने डॉ. एन.पी. द्विवेदी के इस योगदान को अत्यंत सराहनीय और प्रेरणादायी बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी जनोन्मुखी पहलें समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाली होती हैं। यह न केवल दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान का प्रतीक है, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी का भी प्रमाण है। डॉ. द्विवेदी ने बताया कि यह कार्य उन्होंने अपने माता-पिता की स्मृति में समाज की सेवा भावना से प्रेरित होकर किया है। उन्होंने कहा कि उनके माता-पिता सदैव सेवा और परोपकार की भावना से जुड़े रहे हैं और यह सौभाग्य उसी परंपरा का एक छोटा सा प्रयास है।

सेवानिवृत्ति विवाद में फंसे जल संसाधन विभाग के पूर्व कर्मचारी



शहडोल। जल संसाधन विभाग के एक पूर्व कर्मचारी रामचरण कुशवाहा ने विभागीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने विभाग के प्रमुख अभियंता, भोपाल को पत्र लिखकर मामले को निष्पक्ष जांच व न्याय की मांग की है। श्री कुशवाहा का कहना है कि उनकी नियुक्ति 18 फरवरी 1979 को देवलौद स्थित कर्मशाला एवं गंडार उपभोग में हुई थी। उन्होंने बताया कि वे एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे, जिन्हें शासन के नियमानुसार 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किया जाना था, लेकिन सेवा पुस्तिका (सर्विस बुक) में अनुविभागीय अधिकारी प्रणेश दुबे द्वारा कथित रूप से छेड़छाड़ कर उन्हें कुशल हेल्पर के पद पर दिखा दिया गया और इस आधार पर 8 जनवरी 2018 को 60 वर्ष की आयु में ही सेवानिवृत्त कर दिया गया। श्री कुशवाहा ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने इस अन्याय का विरोध किया तो, संबंधित अधिकारी ने उन्हें धमकी दी और कहा कि मेरे रहते तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। श्री कुशवाहा ने इस संबंध में 13 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार उन्हें न सिर्फ दो वर्ष पहले सेवानिवृत्त किया गया, बल्कि बेरोजगारी राशि भी नियमों के विरुद्ध चार किश्तों में दी गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उच्च न्यायालय में मामला विचारधीन रहने के बावजूद विभागीय अधिकारी न्यायालय को तथ्यों से अवगत नहीं करा रहे हैं और जानबूझकर जानकारियों छुपाई जा रही हैं। श्री कुशवाहा ने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए बताया कि वह अत्यंत गरीब हैं, उन्हें पेंशन तक नहीं मिल रही है और उनका जीवन संकट में है। उन्होंने शासन से न्याय की अपील की है। सीएम हेल्पलाइन द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह मामला वर्तमान में कार्यपालन यंत्र, लाइट मशीनरी विद्युत यांत्रिकी समाग कमांक 3, देवलौद के पास निराकरण हेतु लंबित है और कार्यवाही प्रगति पर है।

जल संकट से जूझ रहा बिरसा मुंडा चिकित्सा महाविद्यालय

शहडोल। बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय शहडोल इन दिनों गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। जलापूर्ति का जिम्मा संभाल रहे सचिवद्वारा द्वारा समय पर जल आपूर्ति न किए जाने के कारण अस्पताल परिसर में पानी की भारी किल्लत उत्पन्न हो गई है। इस कारण भर्ती मरीजों, उनके परिजनों एवं चिकित्सा स्टाफ को नित्य उपयोग के लिए भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जलापूर्ति बाधित होने की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए महाविद्यालय प्रशासन ने मुख्य नगर पालिका



अधिकारी, नगर पालिका परिषद शहडोल को पत्र प्रेषित कर तत्काल राहत हेतु पानी के टैंकर उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान सचिवद्वारा जल आपूर्ति कार्य का समुचित संचालन नहीं कर रहा, जिसके परिणामस्वरूप मरीजों को परेशान, शौचालय, सफाई और अन्य दैनिक जरूरतों के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जब तक नियमित जलापूर्ति व्यवस्था बहाल नहीं होती, तब तक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय को समय-समय पर आवश्यकता अनुसार टैंकरों से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए। प्रशासन ने यह भी मरोसा दिलाया है कि नगर पालिका द्वारा उपलब्ध कराए गए टैंकरों के देयकों का मुगलान समय पर किया जाए, ताकि वित्तीय प्रक्रिया में किसी प्रकार की अड़चन न आए। वर्तमान में अस्पताल में प्रतिदिन सैकड़ों मरीज भर्ती होते हैं, और जल की अनुपलब्धता उनकी देखभाल एवं स्वच्छता व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। इससे न केवल मरीजों की चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित हो रही है, बल्कि संक्रमण फैलने का भी खतरा बढ़ रहा है। नगरवासी एवं जनप्रतिनिधि भी अस्पताल में उत्पन्न इस स्थिति को लेकर चिंतित हैं और नगर पालिका से तत्काल कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की तत्परता ही मरीजों को इस संकट से राहत दिला सकती है।

हरिभूमि

एकमात्र ही नतीजा, विचार भी

माह अगस्त 2025

जन्मदिन उत्सव फॉर्मेट

मोट : 1 अगस्त से 31 अगस्त तक जिन पाठकों का जन्मदिन हो अपना फॉर्मेट भरकर 25 जुलाई 2025 तक जमा कर सकते हैं।

अब हर माह आप बनोगे

भाग्यशाली विजेता

महाबम्पर ड्रा में शामिल होने का सुनहरा अवसर

प्रथम पुरस्कार

1 तोला, 5 ग्राम

सोने का हार

द्वितीय पुरस्कार

1 स्कूटी (EV)

तृतीय पुरस्कार

2 ग्राम

ऐग्रीजेटोर

चतुर्थ पुरस्कार

3 ग्राम

LED TV

सातवां पुरस्कार

1100

कार्यालय प्रति	
पाठक का नाम	मो.नं.
पिता का नाम	जन्मतिथि
स्थान	जिला
एजेंसी का नाम	मो.नं.
एजेंसी का पता	

नियम व शर्त : 1. हर माह जन्मदिन उत्सव फॉर्मेट प्रकाशित किया जायेगा। योजना में भाग लेने के लिए पाठकों को हरिभूमि में प्रकाशित फॉर्मेट को भरकर हरिभूमि कार्यालय, ब्लूटो कार्यालय या अपने एजेंट/एजेंसी के पास जमा कर सकते हैं। 2. हरिभूमि के नये एवं पुराने पाठक इसमें भाग ले सकते हैं, जन्मदिन के फॉर्मेट एक माह पहले भेजावे जायेंगे, उनके जन्मदिन पर उन्हें सुनिश्चित उपहार दिया जायेगा। 3. प्राप्त जन्मदिन के फॉर्मेट को एकत्रित कर महाबम्पर ड्रा में शामिल किया जायेगा जिसका ड्रा नवम्बर 2025 में किया जायेगा। 4. जन्मदिन फॉर्मेट के साथ आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ 3 माह अखबार का मासिक विल लगाना अनिवार्य होगा। 5. जन्मदिन फॉर्मेट की फोटो कापी मान्य नहीं होगी। 6. राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के सभी नियम लागू होंगे। इस योजना के विजेता को आयकर के नियम व शर्त मान्य होगी। हरिभूमि निगम का मंडल का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। किसी प्रकार के विवाद में न्यायालय क्षेत्र तयपुर होगा। हरिभूमि कर्मचारी, एजेंट व उनके परिवार के सदस्य इस योजना के पात्र नहीं हो सकते। 17. विषय में दूराए गए उपहार भिन्न हो सकते हैं।

हरिभूमि

पाठक का नाम

पिता का नाम

स्थान

एजेंसी का नाम

एजेंसी का पता

आहक प्रति

मो.नं.

जन्मतिथि

जिला

मो.नं.

जन्मदिन उत्सव

मो.नं.

जन्मतिथि

जिला

मो.नं.

खबर संक्षेप

कलेक्टर ने सुनी आमजनों की समस्याओं



उमरिया। कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने कलेक्टर सभागार में आयोजित जनसुनवाई में जिले के दूर दराज से आए लोगों की समस्याओं को सुना तथा निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवेदन प्रेषित किए। जनसुनवाई में देवदत्त कुशवाहा ग्राम सिंगुडी ने जमीन हड़पने, जान से मारने की धमकी देने, छोटा बैगा मानपुर ने अवैध अतिक्रमण हटाने, व्दरिका सिंह ग्राम बालपुर ने ई ट्रायसिकल दिलाने, संजय बैगा ग्राम सरसवाही ने शासकीय उमावि सरसवाही में चौकीदार या भृत्य के पद पर कलेक्टर दर पर रखवाने, लल्लू कुशवाहा चंदवार ने आम रास्ता दिलाने, केशकली गड़ारी ग्राम मुंडी ने पैतृक रमशान भूमि से कब्जा हटाने, शिवम जायसवाल ग्राम बचहा ने फर्जी कार्यों की जांच कराने, रामाकांत द्विवेदी ग्राम शाहपुर ने पशु शेड की राशि दिलाने, राम नारायण गुप्ता ग्राम बल्हौड ने ट्रांसफार्म बदलवाने हेतु आवेदन दिया। जनसुनवाई में संयुक्त कलेक्टर रीता डेहरिया, एसडीएम बांधवगढ़ कमलेश नीरज, डिप्टी कलेक्टर मीनाक्षी इंगले, हरनीत कौर कलसी सहित अन्य जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।

एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया गया पौधरोपण



उमरिया। नगर परिषद मानपुर के वार्ड क्रमांक 1 में नगर परिषद मानपुर की अध्यक्ष भारती सोनी के मुख्य आतिथ्य में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। उन्होंने कहा कि पौधरोपण करना हम सबकी महती जिम्मेदारी है। पेड़ से हमें जहां एक ओर शुद्ध वायु मिलती है वहीं दूसरी ओर औषधियां प्राप्त होती हैं। उन्होंने कहा कि जन्म दिवस, शादी की सालगिरह या अन्य खुशियों के मौके पर पौधरोपण अवश्य रूप से करें। इस अवसर पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी, पार्षद एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

भालूमाड़ा पुलिस ने सटटा के विरुद्ध की कार्यवाही



हरिभूमि न्यूज भालूमाड़ा। पुलिस अधीक्षक मोती-उर-रहमान के निर्देशन में इसरार मन्सूरी आरती शाक्य के मार्ग दर्शन में थाना भालूमाड़ा पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर् की सूचना पर 21 जुलाई को कस्बा भालूमाड़ा तीन नंबर दफाई में रेंड कार्यवाही मोतीलाल केवट निवासी वार्ड क्रमांक 11 तीन नंबर दफाई भालूमाड़ा सट्टा के अंक पर रुपयों का बाजी लगाते मिला जिससे पृछताछ कर पर श्याम रोहाणी निवासी भालूमाड़ा के कहने पर सट्टा पच्ची काटना एवं खाईवाल श्याम रोहाणी को पैसा देना बताया आरोपी मोतीलाल केवट के कब्जे से कुल नगदी 2725 रुपए एवं सट्टा पच्ची व एक ड्राट पेन जप्त किया गया। आरोपीगणों के विरुद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।

दूर-दूर से आए पहलवानों ने एक दूसरे को दी पटखनी



गया। दंगल देखने के लिए अनूपपुर जिले के दूर-दूर से दर्शक पहुंचे थे, जंगल पालिका अध्यक्ष राम अघेश सिंह ने कहा कि दूर वर्ष की भाति इस बार भी दंगल का आयोजन किया गया भालूमाड़ा रामलीला मैदान में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि ने कहा कि कभी भारतीय खेल में सबसे लोकप्रिय खेल रही कुश्ती कालांतर में विलुप्त के कगार पर है। यह खेल हमारे देश का धरोहर है इसको संयोजन करने का एकमात्र उपाय ऐसे ही प्रतियोगिता का आयोजन कर किया जा सकता है। प्रतियोगिता में। मंगल पहलवान गाजीपुर, मौहन पहलवान प्रयागराज, सोनू पहलवान समेत उत्तर प्रदेश और बिहार सहित कई नामी पहलवानों ने भाग लिया। कुश्ती प्रतियोगिता देख आगोजन मौजदाग, बुजुर्ग, बच्चे काफी उत्साहित दिखे। बीच-बीच में पहलवानों की पटखनी के समय तालियों और वाद-वाही से माहौल और अधिक उत्साहित होता रहा।

नगर पालिका पसान में हुआ दंगल का आयोजन

हरिभूमि न्यूज भालूमाड़ा। नगर पालिका परिषद पसान द्वारा ओपन महिला/पुरुष कुश्ती (दंगल) का आयोजन किया गया जिसमें हजारों की संख्या में लोग रहे उपस्थित रहे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से महिला एवं पुरुष पहलवान पहुंचे थे। कार्यक्रम की शुरुआत नगर पालिका परिषद पसान के अध्यक्ष राम अघेश सिंह के द्वारा दोनों पहलवानों को फूल माला पहनाने कर आयोजन का शुभारंभ किया। 20 और 21 जुलाई तक 2 दिवसीय चलने वाले दंगल का समापन हो गया।

व्यवस्थापन की भूमि बन गई अवैध कमाई का जरिया

पट्टा भूमि पर करोड़ों में हो रही बिक्री, प्रशासन मौन

उमरिया। गरीबों को जीवन यापन के लिए दी गई शासकीय जमीनें अब व्यवसायिक लाभ का जरिया बन गई हैं। वर्ष 1980-84 के बीच भूमि हीन लोगों को दी गई पट्टों की जमीनें अब नियमों को दरकिनार कर करोड़ों में बेची जा रही हैं। प्रशासनिक चुप्पी और कलेक्टर की अनुमति के बगैर हुए सौदे कई सवाल खड़े कर रहे हैं। मध्यप्रदेश शासन ने वर्ष 1980 से 1984 के बीच मानपुर तहसील के ग्राम पतौर में 36 अत्यंत गरीब व भूमिहीन परिवारों को जीवन यापन के लिए शासकीय जमीन पट्टे पर दी थी। शासन की यह योजना गरीबी उन्मूलन और सामाजिक उत्थान के उद्देश्य से चलाई गई थी। कुछ पात्र लाभार्थियों ने इस योजना का सही लाभ उठाया और आज भी उन जमीनों पर रहकर खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इस जमीन को व्यवसायिक लाभ का जरिया बना लिया और अब इस पर नियमों को ताक पर रखकर रिसॉर्ट जैसे व्यवसायिक निर्माण कर रहे हैं।

बिना अनुमति की बिक्री, रिकॉर्ड भी गायब

ग्राम पतौर के आराजी खसरा नंबर 17, रकवा 7 एकड़ की जमीन 'आरक्षित मद' की थी, जिसका पट्टा किसी को आवंटित नहीं किया जा सकता था। इसके बावजूद इस भूमि में से 5 एकड़ भूमि का पट्टा एक स्थानीय व्यक्ति को आवंटित कर दिया गया। आश्चर्य की बात यह है कि इस पट्टे का आधिकारिक प्रकरण क्रमांक, फाइल या कोई दस्तावेज रिकॉर्ड रूम में उपलब्ध नहीं है। आरोप है कि पटवारी द्वारा सीधे रिकॉर्ड सुधार कर व्यक्ति के नाम पर भूमि स्वामित्व चढ़ा दिया गया। प्रथम बार जब इस जमीन का विक्रय हुआ था, तो कलेक्टर उमरिया ने इसे संज्ञान में लेकर कलेक्टर न्यायालय में मामला प्रस्तुत किया, जो आज भी विचारधीन है। बावजूद इसके, विवादित भूमि खसरा नंबर 17/1 रकवा 5 एकड़ को कलेक्टर की अनुमति के बिना ही करोड़ों



रुपये में विक्रय कर दिया गया। यह न सिर्फ कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन है, बल्कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 165 के तहत भी यह एक दंडनीय अपराध है।

रिसॉर्ट निर्माण जोरों पर

विक्रय की गई भूमि पर अब रिसॉर्ट निर्माण कार्य भी तेजी से जारी है। यह कार्य पूरी तरह से अवैध है, क्योंकि भूमि का स्वामित्व विवादित है और मामला कलेक्टर न्यायालय में लंबित है। प्रशासन की चुप्पी और निर्माण कार्य की अनुमति के बिना जारी गतिविधियां शासन की योजनाओं को खुली

चुनौती दे रही हैं। इसके अलावा, खसरा नंबर 17/2 रकवा 2 एकड़ की शेष जमीन पर भी रिसॉर्ट का निर्माण जोरों से चल रहा है। सूत्रों के अनुसार, यह भी उसी आरक्षित भूमि का हिस्सा है और इस पर भी कोई वैध स्वामित्व नहीं है। ऐसे में यह स्पष्ट हो जाता है कि शासकीय भूमि पर कब्जा कर और उसे व्यवसायिक रूप से इस्तेमाल कर एक संगठित तरीके से अवैध कमाई की जा रही है।

प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल

सवाल यह उठता है कि जब इस भूमि का मामला कलेक्टर

न्यायालय में विचाराधीन है, तो उस पर किसी प्रकार का विक्रय या निर्माण कैसे संभव है? क्या प्रशासन की मिलीभगत से यह सब हो रहा है या फिर जिम्मेदार अधिकारी अनदेखी कर रहे हैं? ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले में उच्चस्तरीय जांच की आवश्यकता है ताकि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जा सके।

न्यायिक प्रक्रिया की अनदेखी

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के अनुसार, व्यवस्थापन में मिली शासकीय भूमि को न तो बिना कलेक्टर की अनुमति के बेचा जा सकता है और न ही उस पर व्यवसायिक उपयोग किया जा सकता है। नियम स्पष्ट रूप से यह भी कहते हैं कि ऐसे पट्टे केवल निजी आवासीय उपयोग के लिए होते हैं और इन पर व्यवसायिक निर्माण या ट्रांसफर सभी संभव है जब जिला प्रशासन की स्पष्ट अनुमति हो, लेकिन इस मामले में न केवल नियमों की अनदेखी हुई है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को भी नजरअंदाज किया गया है। मामले की सुनवाई लंबित रहते हुए भी करोड़ों की बिक्री और रिसॉर्ट निर्माण यह दर्शाता है कि क्षेत्र में भूमि माफियाओं का दबदबा बढ़ता जा रहा है और प्रशासनिक मशीनरी निष्क्रिय बनी हुई है।

ग्रामीणों की उच्चस्तरीय जांच की मांग

ग्राम पतौर के जागरूक नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पूरे प्रकरण पर कड़ा ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि यह गरीबों के हक पर सीधा हमला है और शासकीय योजनाओं का खुला दुरुपयोग है। वे मांग कर रहे हैं कि इस मामले की न्यायिक जांच कर दोषियों को दंडित किया जाए, अवैध निर्माण को तुरंत रोका जाए और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जाए। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंदों की मदद करना होता है, न कि किसी विशेष वर्ग को लाभ पहुंचाना।

कलेक्टर ने स्टॉप डायरिया सह दस्तक अभियान का किया शुभारंभ

उमरिया। कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने 22 जुलाई से 16 सितंबर तक चलने वाले स्टॉप डायरिया सह दस्तक अभियान का शुभारंभ गुंजन, आयुष, प्रियांशी तथा अयांश को विटामिन ए की दवा खिलाकर किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को ओ आर एस के पैकेट, जिक की गोलियां भी प्रदाय की। उन्होंने कहा कि 22 जुलाई से 16 सितंबर तक प्रारंभ होने वाले अभियान में जौरो से लेकर पांच वर्ष तक के सभी बच्चों को अभियान में निहित कर सेवा प्रदाय की जाए। शेष छूटे हुए बच्चों एवं नवजात शिशुओं हेतु मापअप के दौरान ए एन एम, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा इन बच्चों के घर घर जाकर दस्तक सेवाएं प्रदाय की जाएं। सत्र एवं मापअप के दौरान बच्चों में बीमारियों की पहचान, आवश्यक उपचार एवं त्वरित रेफरल कार्रवाया सुनिश्चित किया जाए। दस्तक दल का नेतृत्व ए एन एम द्वारा किया जाए आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहयोगी की भूमिका में रहेगी। दस्तक दल द्वारा छूटे हुए बच्चों एवं दल के पर्यवेक्षण हेतु सीएचओ उत्तरदायी होंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. व्ही.एस चंदेल ने बताया कि अभियान के दौरान गंभीर कुपोषण, एनीमिया, दस्तरोग,



निर्जलीकरण, निमोनिया सहित अन्य बीमारियों की जांच की जाएगी। आयु अनुसूचक विटामिन सीरप, ओ आर एस के पैकेट, जिक की गोलियां आई एफ ए सीरप थैराप्यूटिक डोज आवश्यकतानुसार अन्य औषधियां प्रदाय की जाएगी। शिशु एवं बाल आहातपूर्ति, हाथ धोने की प्रक्रिया, ओ आर एस घोल तैयार करने की पहचान की जाएगी। बीमार गंभीर कुपोषित, गंभीर एनीमिक, गंभीर निर्जलीकरण वाले प्रकरण, गंभीर निमोनिया वाले प्रकरण, दो माह

तक के बच्चों में संक्रमण तथा अन्य खतरे के चिह्न वाले बच्चों को रेफरल किया जाएगा। चिकित्सकीय प्रबंधन, चिकित्सकीय जटिलता रहित गंभीर कुपोषण, दस्तरोग प्रकरण, अल्प एवं मध्यम एनीमिया तथा अन्य मौसमी बीमारियों का सामुदायिक प्रबंधन किया जाएगा। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर रीता डेहरिया, एसडीएम बांधवगढ़ कमलेश नीरज, डिप्टी कलेक्टर हरनीत कौर कलसी, जिला टीकाकरण अधिकारी डा ऋचा गुप्ता सहित अन्य जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।

वृक्षारोपण अभियान को लेकर धुरवासिन और दादसागर सेक्टर में बैठक सम्पन्न

हरिभूमि न्यूज जमुना/जमुना। अनूपपुर जनपद अंतर्गत आर्जीविका मिशन एक बगिया मां के नाम वृक्षारोपण अभियान को लेकर धुरवासिन सेक्टर और दादसागर सेक्टर में बैठक सम्पन्न हुआ जिसमें प्रमुख रूप से अनूपपुर जनपद के मनरेगा अधिकारी इंजीनियर उपस्थित रहे। बैठक में ब्लॉक प्रबंधक (आर्जीविका मिशन) दुर्गेश कुमार देहिया द्वारा बताया गया कि वृक्षारोपण कार्य में महिला स्व-सहायता समूहों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। यह कार्य सतत आर्जीविका के रूप में महिलाओं के लिए सशक्त साधन बनेगा। एपीओ (मनरेगा) अरविंद सिंह द्वारा वृक्षारोपण योजना की विस्तृत जानकारी दी गई, जिसमें पौधों की आपूर्ति, गड्डा खुदाई, ट्री गार्ड स्थापना एवं मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया शामिल है। उन्होंने हितग्राहियों से कार्य की निगरानी एवं श्रमिक चयन में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उपयंत्री (मनरेगा) के द्वारा तकनीकी मानकों पर प्रकाश डाला, जैसे पौधों के बीज दूरी, गड्डा का माप, जल स्रोत की उपलब्धता एवं गुणवत्ता नियंत्रण। सभी उपस्थित जनों ने "एक बगिया मां के नाम" अभियान को सफल बनाने हेतु संकल्प लिया और सामूहिक सहभागिता सुनिश्चित करने का वचन दिया। बैठक में दुर्गेश कुमार देहिया ब्लॉक प्रबंधक, आर्जीविका मिशन, अरविंद सिंह एपीओ, मनरेगा, लव श्रीवास्तव साहब उपयंत्री इंजीनियर, मनरेगा, ग्राम धुवासिन और दादसागर के सक्रिय स्व-सहायता समूह की हितग्राही बहनें उपस्थित रही साथ ही ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव पंच सहित सैकड़ों नागरिकगढ़ उपस्थित रहे।



जितेन्द्र सिंह ने निर्धन छात्र युग वर्मा का फीस जमा कर समाज में प्रस्तुत किया अनुकरणीय उदाहरण

हरिभूमि न्यूज चर्चाई। समाजसेवी, शिक्षाविद् जितेन्द्र सिंह ने निर्धन छात्र युग वर्मा जो आर.सी. इंग्लिश मीडियम स्कूल, चर्चाई में कक्षा आठवीं उत्तीर्ण कर कक्षा 09 में प्रवेश के लिये प्रयासरत था पर आर्थिक तंगी के कारण आर.सी. स्कूल में प्रवेश शुल्क दस हजार जमा नहीं कर पा रहा था उसके स्कूल का फीस जमा कर समाज में अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। युग वर्मा एक दलित निर्धन छात्र है, उसे कक्षा 01 से कक्षा 08 तक शासन की आर.टी.ई. योजना का लाभ प्राप्त हुआ और वह आर.सी. स्कूल चर्चाई से कक्षा 08 उत्तीर्ण कर कक्षा 09 में प्रवेश के लिये भटक रहा था। उसके माता-पिता अपने निर्धनता की कहानी आर.सी. स्कूल के प्राचार्य से तथा आर.सी. स्कूल कमेटी के अध्यक्ष के पास लिखित गुहार लगाई कि केवल एडमिशन फीस माफ कर दीजिये, ट्यूशन फीस हम हर महीने देंगे पर असंवेदनशील प्राचार्य व आर.सी. स्कूल कमेटी ने गरीब की गुहार को खारिज कर आदेश दिया गया कि फीस जमा करनी ही पड़ेगी। आर्थिक तंगी से निर्धनता के कारण युग वर्मा के माता-पिता ने बेटे से कहा कि हम



आर.सी. स्कूल में नहीं पढ़ायेँगे। इस बात की जानकारी उत्कृष्ट शिक्षाविद्, समाजसेवी जितेन्द्र सिंह को हुई। जितेन्द्र सिंह ने युग वर्मा को बुलाया तथा स्वयं आर.सी. स्कूल, चर्चाई जाकर युग वर्मा के कक्षा 09 वीं की एडमिशन फीस, माह अप्रैल से जुलाई तक की ट्यूशन फीस जमाकर एक निर्धन छात्र का चोला ओढ़कर अम्बेडकर के नाम पर घड़ियाली ऑसू बहाने वालों ने निर्धन दलित की एक भी नहीं सुनी।

सिविल अस्पताल बनने का रास्ता साफ होने से नगरवासियों में हर्ष

अस्पताल भवन के निर्माण की जल्द होगी शुरुआत

हरिभूमि न्यूज कोतमा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा का सिविल अस्पताल में उन्नयन होने एवं लेकर भवन निर्माण हेतु 45 करोड़ की राशि खनिज मद से स्वीकृत की गई है। सिविल अस्पताल बनने का रास्ता साफ होने से नगरवासियों में हर्ष देखा जा रहा है। विदित रहे कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के 16 अगस्त 2024 अनूपपुर जिला आगमन पर कोतमा विधायक एवं मंत्री दिलीप जायसवाल ने 100 बिस्तर अस्पताल की मांग किए जाने पर मुख्यमंत्री डाक्टर मोहन यादव ने घोषणा की थी। जिला खनिज प्रतिष्ठान डीएमएफ मद से स्वीकृति मिल गई है, जिससे आने वाले दिनों में कोतमा की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आने की उम्मीद जागी है। कोतमा अस्पताल की मौजूदा स्थिति और संसाधनों की कमी पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए मंत्री दिलीप जायसवाल ने क्षेत्र के नागरिकों के लिए 100 बिस्तरों की आवश्यकता की मांग की थी। बजट आने से अब प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने से नागरिकों में खुशी देखी जा रही है। बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा विधानसभा क्षेत्र का जीवन दायिनी कहलाए जाने वाला स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन यहां पर सुविधाओं की कमी के साथ ही डॉक्टरों की कमी भी बनी हुई



है जिसके कारण लोगों को इलाज के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है। जिसको लेकर नागरिकों के द्वारा कई बार पत्राचार के साथ ही आंदोलन भी किया गया था। नगर विकास मंच के अध्यक्ष अख्तर हुसैन बोहरा के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भोपाल में मिलकर आगमन पर कोतमा अस्पताल को 100 बिस्तरों का बनाए जाने की घोषणा की थी। और उसके बाद जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पत्राचार किया जा रहा था लेकिन वह पत्राचार तक ही सीमित होकर रह गया था। मंत्री दिलीप जायसवाल के प्रयास से 100 बिस्तरों के अस्पताल के लिए बजट आवंटन करवाया गया है जल्द ही अस्पताल भवन के निर्माण का कार्य भी शुरू हो पाएगा।

जैतहरी महाविद्यालय में रोपे गये पौधे

हरिभूमि न्यूज जैतहरी। वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत शासकीय महाविद्यालय जैतहरी में 19 जुलाई को वृक्षारोपण किया गया। जैतहरी राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में एक पेड़ मां के नाम 2.0 वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन शासकीय महाविद्यालय जैतहरी में 19.07.2025 को आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्या सुश्री संगीता उडके के द्वारा किया गया। महाविद्यालय जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार राठौर के द्वारा एक पेड़ मां के नाम 2.0 वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत महाविद्यालय परिसर में पेड़ के महत्व के बारे में बताया गया और सभी लोगों को वृक्ष लगाने



हेतु प्रेरित किया गया। महाविद्यालय में फलदार पौधे जैसे आम, अमरूद, नींबू, आंवला एवं सीताफल के पौधों का रोपण किया गया। इस कार्यक्रम में श्री राधेश्याम सोलंकी, महाविद्यालय के पर्यावरण एवं वृक्षारोपण प्रभारी सहायक प्राध्यापक ने अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम में महाविद्यालय के डॉ. नीरज जायसवाल, श्यामबली कुमार ग्रंथपाल, बृजेश द्विवेदी, डॉ. अनीता पाण्डेय, डॉ. नीरज कुमार मिश्रा, डॉ. खुराबू खान, डॉ. शोभा तिवारी, श्रीमती रमा विश्वकर्मा अतिथि विद्वान एवं समस्त कर्मचारी तथा छात्र-छात्राओं के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के समस्त स्टाफ उपस्थित रहे।

खबर संक्षेप



छग के पूर्व उपमुख्यमंत्री स्व. डॉ. गणेश चटर्जी के निवास पहुंचकर टी श्रद्धांजलि
हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। 22 जुलाई को छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री टी एस सिंह देव (बाबा साहब) एडवोकेट वासुदेव चटर्जी के निवास पर पहुंचे जहां कुछ दिन पूर्व स्वर्गवास हुए चाचा डॉ. गणेश चटर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी एवं परिवारजनों से मिलकर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। विदित हो कि स्वर्गीय डॉक्टर गणेश चटर्जी अनूपपुर के चरिष्ठ कावेस नेता एवं चिकित्सक थे जिनका विगत दिनों स्वर्गवास हो गया था। स्व. श्री चटर्जी कुरुण चटर्जी के पिताजी एवं एडवोकेट वासुदेव चटर्जी, सुवेद चटर्जी, देव चटर्जी के चाचा जी थे।

फुनगा चौकी प्रमारी के मारपीट मामले में ओबीसी महासभा ने सौपा ज्ञापन



चौकी प्रमारी अवस्थी के निबंधन की मांग
अनूपपुर। फुनगा चौकी प्रमारी अनुयायि अवस्थी द्वारा बिना वजह के उनके द्वारा अमानवीय तरीके से मारपीट करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक को ओबीसी महासभा ने ज्ञापन सौपा है। ज्ञापन में लेख किया गया कि महासभा के युवा कार्यकर्ता रामदयाल यादव पिता रामचंद्र यादव 11 जुलाई को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुनगा में बुजवासी यादव अपाण देवा कराके के लिए गये थे जब देवा नहीं हो रहा था तो अपने साला रामदयाल यादव को फोन लगाकर बुलाया। रामदयाल यादव स्वास्थ्य केंद्र में डॉ० नेनसी पाण्डेय वहां उपस्थित थी रामदयाल यादव ने देवा न होने का वजह पूछ तो मैडम के द्वारा कहा गया कि हमारे यहां कोई स्टफ नहीं है सब स्टफ अट्टी में है। इस दौरान कठगुणों के बीमा डॉक्टर ने कहा कि आपको बहुत जल्दी है तो प्राइवेट अस्पताल में चले जाओ रामदयाल यादव के द्वारा देखा गया कि अस्पताल में सभी कर्मचारी उपस्थित है। रामदयाल यादव द्वारा फुन. डॉ० को कहा गया कि मैडम आपके हॉस्पिटल में सभी कर्मचारी उपस्थित है मैडम इतना सुनते ही अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुये चौकी प्रमारी अनुयायि अवस्थी को बुलाया गया। जिनके द्वारा रामदयाल यादव को पीछे से लात मारते हुए पसींटे हुए चौकी में बंद कर दिया गया रामदयाल यादव से किसी प्रकार से पूछताछ नहीं किया गया। वह अपने अधिकार के बारे में बात कर रहा था तभी 11 जुलाई को यह मामला घटित हुआ उसका वीडियो भी है। महासभा ने कहा कि इस कृत्य से समाज आहत है। चौकी प्रमारी के ऊपर कानूनी कार्यवाही करते हुए जिलेबित करने की मांग की गई अगुवा एच सप्ताह के अंदर सड़कों पर उग्र अंदोलन चका जाम व पुताला दहन करने की चेतावनी दी गई।

अनूपपुर स्वास्थ्य विभाग ने लगाई छलांग और स्वास्थ्य सेवाओं में रचा नया कीर्तिमान

स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में प्रदेश के अग्रणी जिलों में अनूपपुर जिला
हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। जिले ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है, जिसने इसे पूरे प्रदेश में एक नई पहचान दिलाई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर. के. वर्मा के गतिशील नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग ने जो प्रगति की है, वह वास्तव में सराहनीय और प्रेरणादायक है। यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं, बल्कि लाखों जिंदगियों को बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदान करने का एक सफल प्रयास है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधारों. वर्मा के कार्यभार सम्भालने बाद से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में आर्यी सुधार आया है.जिले के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में सुविधाओं का लगातार विस्तार हुआ है। विशेष रूप से, कोतमा और पुष्पराजगढ़ के

अपर सत्र न्यायालय राजेन्द्रगाम में नशा मुक्ति की दिलाई शपथ



राजेन्द्रगाम। 22 जुलाई को अपर सत्र न्यायालय राजेन्द्र गाम में नशा मुक्ति के संबंध में अपर सत्र न्यायाधीश पवन शंखवार न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सुनील कुमार खरे एवं निखिल सिंघाई एसडीओपी नवीन तिवारी एवं थाना प्रमारी राजेन्द्रगाम एस.पी. शुक्ला ने नशा मुक्ति जनजागृति अभियान की मिसाल पेश की। अपर सत्र न्यायाधीश पवन शंखवार ने न्यायालय में उपस्थित विद्वान अधिवक्ता न्यायालय की समस्त स्टाफ पुलिस स्टाफ एवं दूरदर्शन से आए आम नागरिकों के साथ पुन-मिलकर संवाद किया और नशे के खिलाफ मुहिम की शुरुआत की जन जागरूकता में शामिल समस्त लोगों को सम्झाया गया किजिस प्रकार लकड़ी में लगने वाला कीड़ा बहुमुखी कोमती फणीकर को गट्ट कर देता है। ठीक उसी प्रकार नशा केवल शरीर को ही नहीं, पूरे परिवार और समाज को खोखला करता है। मानव एक ऐसा प्राणी है जो अनुशासन कर्तव्यनिष्ठ समाज को अग्रसर करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। नशा और नशा दोनों मिलते-जुलते शब्द है। नशा मानव को नशे करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। न्यायालय में समस्त अधिवक्ता गण उपस्थित स्टाफ एवं अन्य उपस्थित लोगों को सामूहिक रूप से नशा न करने की शपथ दिलाई गई।

छत तो नहीं, लेकिन उम्मीद की नींव अब भी मजबूत अजूबा! यहां मास्टर हैं, बच्चे हैं पर पढ़ने को सरकारी भवन नहीं

घर को स्कूल भवन में किया तब्दील, शिक्षक के जग्गे को सलाम अब तक शासन प्रशासन की आंखें बंद, ढकोसला साबित हो रहा शिक्षा का अधिकार

6 साल से बिना सरकारी भवन के मास्टर साहब बना रहे बच्चों का भविष्य
अनूपपुर जिले के शिक्षा विभाग ने 'शिक्षा का अधिकार' को 'भवन के अधिकार' से काट दिया है। जनपद पुष्पराजगढ़ के पडरी पंचायत का चौरादादर गांव में छह सालों से प्राथमिक स्कूल भवन विहीन है। बैगा, गोंड समाज के मासूम बच्चे शिक्षक के घर में पढ़ने को मजबूर हैं। न छत, न मैदान, न कक्षा, बस एक घर जिसमें उम्मीदें और मिड डे मील एक साथ पकते हैं।



भागने की बजाय जिम्मेदारी को अपने सिर ओढ़ लिया है। उन्होंने अपने ही घर को कक्षा बना दिया है, जहाँ अब 35 बच्चे 1 से 5वीं तक की पढ़ाई करते हैं। इस अनौपचारिक स्कूल में न तो जगह है, न संसाधन, लेकिन पढ़ने की जिद और पढ़ाने का जुनून है। मिड डे मील से लेकर खेल-कूद तक सब कुछ घर की चारदीवारी में सिमटा है। हाल ये है कि बारिश आते ही कितारें भीग जाती हैं, लेकिन विभाग के कानों पर छह साल तक जूं तक नहीं रंगी। अब जाकर 15 लाख का बजट स्वीकृत हुआ है, लेकिन निर्माण अभी भी अधूरा है।

विनती पर न कोई सुनवाई और न ही निरीक्षण

छह साल ये कोई छोटा वक्त नहीं, एक बच्चा स्कूल में दाखिल होकर पासआउट हो जाए, इतनी लंबी अवधि होती है, लेकिन चौरादादर के बच्चे आज भी स्कूल की दीवार देखने को तरस रहे हैं। शिक्षा विभाग की सुस्ती का आलम ये है कि शिक्षक की विनती, पंचायत के ज्ञापन, सभ धरे के धरे रह गए। कोई सुनवाई नहीं, कोई निरीक्षण नहीं। अब जाकर खनिज मद से भवन निर्माण की बात जरूर

उठी है, लेकिन वो भी अभी अधूरी है। तब तक बच्चों की तालीम मास्टर जी के घर की चारदीवारी में सिसक रही है। क्या यही है आदिवासी बच्चों के लिए सरकार की 'शिक्षा की गारंटी' ?

छत नहीं, पर उम्मीद बाकी

चौरादादर का यह घर अब सरकारी स्कूल का पर्याय बन चुका है। बच्चे टाट-पट्टी लेकर मास्टरजी के घर पहुंचते हैं। यहीं पढ़ते हैं, यहीं खेलते हैं और यहीं मिड डे मील खाते हैं। खुले मैदान, ब्लैकबोर्ड, लाइब्रेरी तो छोड़िए यहां तो इतनी जगह भी नहीं कि सभी बच्चे ठीक से बैठ सकें। बारिश हो तो पूरी क्लास अस्त-व्यस्त हो जाता है। फिर भी बच्चों की उपस्थिति गवाह है कि स्कूल भवन नहीं, नीयत चाहिए। बच्चों का ये समर्पण शिक्षा विभाग के मुंह पर करारा लगाया है। जहाँ भवन न हो, वहाँ पढ़ाई का सपना देखना किसी संघर्ष से कम नहीं होता है। लेकिन चौरादादर के इन बच्चों और शिक्षक ने उम्मीद को जिंदा रखा है। हाल ही में सरपंच गिरजा बाई ने जानकारी दी कि 15 लाख की लागत से स्कूल भवन स्वीकृत हुआ है और निर्माण कार्य जारी है। हालांकि सवाल यह है कि यह स्वीकृति



छह साल क्यों टाली गई? अब जो निर्माण शुरू हुआ है, वो कब पूरा होगा ये सवाल हवा में लटका है। फिलहाल छत तो नहीं, लेकिन उम्मीद की नींव अब भी मजबूत है।

मास्टर जी ने अपने ही घर को बना दिया स्कूल

पप्पू सिंह परस्ते सिर्फ शिक्षक नहीं, जमीर वाले नागरिक भी हैं। जब सरकार और विभाग ने मुह मोड़ा, पंचायत ने कागज चबाए, तब मास्टरजी ने अपने ही घर को स्कूल बना दिया। छोटे-से मकान में क्लासरूम, ऑफिस, खेल का मैदान और रसोई सब कुछ मौजूद है। 35 बच्चों के सपने एक शिक्षक की चौखट से बंधे हुए हैं। बच्चों की पढ़ाई न रुके, इसके लिए उन्होंने व्यक्तिगत खर्च से भी व्यवस्थाएं की हैं। ये शिक्षक नहीं, शिक्षा के असली योद्धा हैं जो बिना छत, बिना तामझाम के भी ज्ञान की लौ जलाए हुए हैं।

समझ से परे शिक्षा विभाग का मौन धारण


अनूपपुर का शिक्षा विभाग इस पूरे मामले में

मौन साधे बैठा है। छह साल से स्कूल बिना भवन के चल रहा है, शिक्षक खुद घर में पढ़ा रहा है और जिम्मेदार हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। ना जांच, ना समाधान, ना संवेदना। आदिवासी बच्चों के साथ ये लापरवाही क्या भेदभाव नहीं है? आखिर क्या वजह है कि बैगा,गोंड आदिवासी बच्चों की पढ़ाई पर छह साल से ताला पड़ा रहा और किसी ने सुध नहीं ली? यह न केवल प्रशासनिक अपराध है, बल्कि संविधान में दिए गए शिक्षा के अधिकार का सीधा अपमान भी है।

नहीं उठता मैडम का फोन

जब भी मीडियाकर्मी आदिवासी विकास विभाग अनूपपुर की सहायक आयुक्त सुश्री सरिता नायक से किसी भी समाचार के संबंध में फोन के माध्यम से उनका पक्ष जानने का प्रयास करते हैं तो उनके द्वारा किसी भी प्रकार का रिस्पांस नहीं दिया जाता है। यह कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी जब भी सहायक आयुक्त से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कभी भी काल रिसीव नहीं किया। अपनी जवाबदेही से वे हमेशा बचती रहती हैं।

प्रशासन ने धारण किया मौन, शिकायतकर्ता पर बनाया जा रहा दबाव बिजुरी में 11 एकड़ शासकीय भूमि में फर्जीवाड़ा



हरिभूमि न्यूज बिजुरी/अनूपपुर।

संज्ञान लेने की मांग की थी। वहीं 20 जनवरी 2025 को CM हेल्लोलाइन (क्रमांक 31157101) में शिकायत दर्ज होने के बावजूद, न कार्यवाही हुई, न सुनवाई उल्टा अब शिकायत बंद करवाने का दबाव बनने लगा है। **165(7)(बी) की उड़ती घण्टियाँ**
मध्यप्रदेश राजस्व संहिता की धारा 165(7)(बी) का सीधा उल्लंघन करते हुए, जिन लोगों को भूमि नहीं मिलनी चाहिए थी, उन्हें भी जमीन का लाभ दे दिया गया। उदाहरण के तौर पर श्रीमती सावित्री सिंह,



जिनके पास पहले से ही 10 एकड़ भूमि थी और जिनके पति पुलिस विभाग में कार्यरत थे उन्हें भी 4.047 हेक्टेयर की सरकारी जमीन खसरा नंबर 349 में आवंटित कर दी गई। जबकि नियम साफ कहते हैं कि बंटन व्यवस्थापन की भूमि केवल भूमिहीनों को दी जा सकती है। यह खुला उल्लंघन है। **पटवारी ने माना भूमि शासकीय**
शिकायतकर्ता द्वारा वर्ष 1984-85 का पंचवर्षीय खसरा रिकॉर्ड भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें संबंधित भूमि को 'मध्यप्रदेश शासन की संपत्ति' के रूप में दर्ज किया गया है। पटवारी की रिपोर्ट में भी भूमि को शासकीय बताया गया है। इसके बावजूद, न तो कोई प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है और न ही जवाबदेही तय की जा रही है। तमाम दस्तावेज, रिपोर्ट और सबूतों के बावजूद, मामले में प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। क्या यह चुप्पी अज्ञानता है या मिलीभगत। शिकायतकर्ता लगातार दर-दर भटक रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी 'जाँच जारी है' का पुपाना गर अलाप रहे हैं।

निजी गोदाम में सरकारी खाद व धान के अवैध भंडारण के दोषी प्रमारी प्रबंधक पर एफआईआर



परेशान किसानों की कलेक्टर से शिकायत के बाद जांच टीम ने पाया था दोषी
हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। जिले के विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर अंतर्गत तहसील अनूपपुर के उप तहसील फुनगा के आदिम जाति सहकारी समिति के प्रबंधक यादुवेंद्र गौतम अपने कार्यालय एवं खाद

प्रबंधक को फोन करके बुलाने का प्रयास किया तो उन्होंने प्रशासन का फोन नहीं उठाया, दोषी पाए जाने वाले प्रबंधक यादुवेंद्र गौतम एवं उनका भांजा लिपिक बालकृष्ण मिश्रा पर पुलिस चौकी फुनगा में 19 जुलाई की रात लगभग 10 बजे आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। बताया गया कि धारा 318/4 317/5, 3/7 ईपीसी एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि प्रबंधक यादुवेंद्र, गौतम के सगे संबंधियों ने भोपाल में बैठकर मध्य प्रदेश शासन के कई मंत्रियों को अपना खास बताते हुए जिला प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन की जांच को असफल करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन जिला प्रशासन के आदेशानुसार जब स्थानीय प्रशासन ने जांच किया तो पूरे मामले में प्रबंधक एवं उनके लिपिक दोषी साबित हुए अभी भी मामले की जांच जारी है, लेकिन प्रबंधक के नुमाइंदेश प्रशासन को तरह-तरह की धमकी देकर नौकरी कैसे करोगे देखने लेने का चैलेंज कर रहे हैं। इतना ही नहीं प्रबंधक के लापरवाही के चलते हजारों बोरी खाद, बीज एवं खाद्य वितरण में आर्थिक अनियमितता की गई है। इस मामले की भी उच्च स्तरीय जांच आवश्यक मानी जा रही है।

ब्लाक शिक्षा अधिकारी के आदेश से शिक्षक असमंजस में व्यक्ति विशेष सीए से आयकर रिटर्न भरने की आफीशियल गुप मे दी सलाह

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर।

जिले के ब्लाक शिक्षा अधिकारी जैतहरी के एक फरमान से ब्लाक के शिक्षक जहां असमंजस में हैं वही फरमान की नाफरमानी से बीईओ की अप्रिय कार्यवाही से खौफजदा भी हैं। मामला शिक्षकों के आयकर कटौती समेत आयकर रिटर्न से संबंधित है। जानकारी के अनुसार ब्लाक शिक्षा अधिकारी जैतहरी ने आफिशियल गुप मे आदेश प्रतीत हो रहा एक मैसेज डाला कि जिस कर्मचारी की आयकर कटौती उनके PAN no. में प्रदर्शित नहीं हो रही है वे ... CA, hdfc bank के बगल में अनूपपुर से संपर्क करें साथ ही अपने साथ वित्तीय वर्ष 24-25 का फॉर्म 12c एवं वार्षिक आय विवरण ले कर जाएं एवं आयकर रिटर्न भी भरवाएं। यह मैसेज ब्लाक शिक्षा अधिकारी शिरीष श्रीवास्तव के माध्यम से गुप मे आते ही किसी निजी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य समझते हुये शिक्षकों ने इस पर आपत्ति की। शिक्षकों का कहना था कि उपरोक्त समस्याओं के निदान के लिए हम अन्य सीए का भी सहारा ले सकते हैं, हमें व्यक्ति विशेष के पास जाने की सलाह देने का क्या अर्थ है, क्या उन दोनों के बीच साठ गांठ तो नहीं कि हमें संबंधित सीए से ही समस्याओं का निदान कराना होगा। ऐसा मैसेज आफिशियल गुप मे डालने से आशंका को और गहरा करता है। वही दूसरी ओर व्यक्ति विशेष सीए का भी मैसेज प्राचार्य व शिक्षकों तक पहुंचा जिसमें संबंधित सीए ने आदेशित किया कि प्राचार्य जी हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए टीडीएस अपडेट करने और आईटीआर भरने के लिए हमें आपके विद्यालय के सभी शिक्षकों के फॉर्म 12सी इस संदेश के 7 दिनों के भीतर हमारे कार्यालय में जमा करने होंगे। इसमें देरी होने

जिस कर्मचारी की आयकर कटौती उनके PAN no. में प्रदर्शित नहीं हो रही है वे श्री **भौमिक राठौर CA, hdfc bank के बगल में अनूपपुर मोबाइल नंबर 9589335678 से संपर्क करें।** अपने साथ वित्तीय वर्ष 24-25 का फॉर्म 12c एवं वार्षिक आय विवरण ले कर जाएं एवं आयकर रिटर्न भी भरवाएं। 08-59

इनका कहना है
व्यक्ति विशेष के लिए समस्याओं के निराकरण के लिए मुझे गुप मे सलाह नहीं दी जानी थी। कोई भी शिक्षक किसी भी सीए से अपनी समस्या का निराकरण करवा सकता है, वह स्वतंत्र है। **शिशीर श्रीवास्तव ब्लाक शिक्षा अधिकारी जैतहरी**